

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 19(1)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक : 27-09-2019

:- आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी में एफ-श्रेणी (स्वतंत्र) की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है:-

क्र. सं.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.	345	श्री रामफूल मीना वरिष्ठ रेडियोग्राफर सर पदमपत् मातृ एवं शिशु संस्थान, जयपुर	31.08.2034	एफ-69, गांधीनगर (4/40, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
2.	380	श्रीमती कमला देवी, नर्स ग्रेड-आ, जे.के.लॉन चिकित्सालय, जयपुर	28.2.2044	एफ-179, गांधीनगर (4/30, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
3.	381	श्री बनवारी लाल मीणा सहायक अनुभाग अधिकारी राजस्थान विधान सभा, जयपुर	31.7.2025	एफ-164, गांधीनगर (4-सी-19, बहुमंजिला, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
4.	385	श्रीमती सुनीता शर्मा वरिष्ठ लिपिक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।	31.8.2033	एफ-171, गांधीनगर (4/18, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
5.	387	श्री लक्ष्मीनारायण मीणा वाहन चालक, स्टेट मोटर गैरज विभाग जयपुर।	31.8.2027	एफ-183, गांधीनगर (4/39, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
6.	388	श्री पंकज शर्मा, नर्स ग्रेड-आ, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.06.41	एफ-184, गांधीनगर (4/110, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
7.	388ए	श्री वीर सेन, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, जयपुर	31.10.2038	एफ-435, गांधीनगर (4/65, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
8.	389	श्री मुकेश कुमार योगी नर्स ग्रेड-आ सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	31.08.2050	एफ-473, गांधीनगर (4/41, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
9.	391	श्री रवीन्द्र सिंह, लिपिक ग्रेड-आ, मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर	31.12.49	एफ-190, गांधीनगर (4/44, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
10.	393	श्री गोपाल लाल शर्मा, वरिष्ठ सहायक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर	31.07.23	एफ-200, गांधीनगर (4-सी-1, बहुमंजिला, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
11.	394	श्रीमती राजेश कवर, लिपिक ग्रेड-आ, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, राजस्थान जयपुर	31.05.41	एफ-422, गांधीनगर (4-डी-6, बहुमंजिला, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
12.	395	श्री चेतन लाल तवर सहायक प्रशासनिक अधिकारी पशुपालन विभाग, जयपुर	31.07.2029	एफ-455, गांधीनगर (4-ए-14, बहुमंजिला, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
13.	397	श्री अनिल कुमार शर्मा सहायक अनुभागाधिकारी पर्यावरण विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	31.08.2044	एफ-479, गांधीनगर (4-सी-6, बहुमंजिला, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
14.	398	श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (क-4/वाद) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.11.2050	एफ-489, गांधीनगर (4/146, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
15.	399	श्रीमती छाया कनिष्ठ लेखाकार राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, मिनी सचिवालय, जयपुर	30.06.2044	एफ-175, गांधीनगर (4/148, गाँधीनगर (पुराना नं. एफ-929, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
16.	400	श्री जगदीश नारायण मीना अनुभागाधिकारी प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.06.2039	एफ-111, गांधीनगर (4-डी-19, बहुमंजिला, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
17.	401	श्री कमलेश शर्मा सहायक अनुभागाधिकारी मंत्रिमंडल सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2035	एफ-56, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) (4/45, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
18.	402	श्री प्रशान्त कुमार कनिष्ठ सहायक पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर	31.08.2043	एफ-493, गांधीनगर (4-डी-16, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हो

(बृज मोहन शर्मा)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, कोष एवं एवं लेखा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. सयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1)/(क-4/2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. अधीक्षक, सवाई मानसिंह/जे.के.लोन. चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर/शासन सचिवालय, जयपुर।
14. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
15. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
20. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करेंगे।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रति।
22. रक्षित पत्रावली।

  
उप शासन सचिव

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	पिता / पति नाम	
3.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
4.	वैवाहिक स्थिति	
5.	जन्म दिनांक	
6.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
7.	ईम्प्लॉयी आई.डी. (Employee ID)	
8.	आधार नंबर	
9.	मोबाईल नंबर	
10.	ई-मेल आई.डी.	
11.	वर्तमान पता	
12.	स्थायी पता	
13.	नियुक्तकर्ता विभाग	
14.	पदस्थापन दिनांक	
15.	डी.डी.ओ. कोड एवं नाम	
16.	पे-मेट्रिक्स लेवल	
17.	ग्रेड पे एवं बेसिक पे	
18.	<b>Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.</b>	
19.	<b>Employee Status (Probationer/ Permanent etc.</b>	
20.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
21.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर